कार्यालयः–जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ।

विज्ञप्ति।

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र संख्या–3608/एसएलएसए–49/2016 (2022–23)(हैदर) दिनांकित 29 सितम्बर, 2022 के अनुपालन में स्थायी लोक अदालत मेरठ में सदस्यगण की नियुक्ति हेतु जनपद मेरठ में उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार **दिनांक 18.11.2022** को सदस्यगण के साक्षात्कार की तिथि नियत की गयी है, जिसकी सूचना पृथक रूप से आवेदकगण को कार्यालय द्वारा दी जा चुकी है, यदि किसी आवेदक को सूचना प्राप्त नही हुई है तो वह यथासमय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ के कार्यालय में सम्पर्क कर सकता है।

अतः सभी सम्बन्धित आवेदकगण से अनुरोध है स्थायी लोक अदालत मेरठ में सदस्यगण के साक्षात्कार हेतु आधार कार्ड अथवा वैध पहचान पत्र, दो रंगीन फोटोग्राफ व शैक्षणिक योग्यता प्रमाण सहित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेरठ के कार्यालय में **दिनांक 18.11.2022 को प्रातः 10:00 बजें** उपस्थित हो तथा मोबाईल फोन, स्मार्ट घडी व अन्य कोई भी इलैट्रॉनिक्स उपकरण साक्षात्कार के दौरान वर्जित रहेंगा।

दिनांकः 10.11.2022

भवदीय,
10.11.22
(विजय कुमार)
सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
मेरठ।

प्रतिलिपिः–

1–श्रीमान जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
2–श्रीमान अध्यक्ष, स्थायी लोक अदालत मेरठ को सूचनार्थ प्रेषित।
3–श्रीमान जिलाधिकारी मेरठ को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4–श्रीमान प्रभारी अधिकारी (कम्प्यूटर) जनपद न्यायालय मेरठ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति की प्रति को जनपद न्यायालय की बेवसाइड पर अपलोड कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने की कृपा करें।
5–जिला सूचना अधिकारी, मेरठ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति को समस्त स्थानीय समाचार पत्रो में निःशुल्क व जनहित में प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
6–श्रीमान अध्यक्ष/महामंत्री जिला बार एसोसिएशन मेरठ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति की प्रति को अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने की कृपा करें।
7–श्रीमान अध्यक्ष/महामंत्री मेरठ बार एसोसिएशन मेरठ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति की प्रति को अपने नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने की कृपा करें।
8–तहसीलदार सरधना, मवाना व सदर मेरठ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति की प्रति को तहसील व तहसील बार के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने की कृपा करें।
9–केन्द्रीय नाजिर, जिलाधिकारी मेरठ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति की प्रति को कलेक्ट्रेट मेरठ नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने की कृपा करें।
10–केन्द्रीय नाजिर, जनपद न्यायालय, मेरठ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति की प्रति को जनपद न्यायालय, मेरठ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने की कृपा करें।

10.11.22
(विजय कुमार)
सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
मेरठ।